



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231963
CG-DL-E-17122021-231963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 707]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

सं. 72/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 866(अ).—जहां कि बंगलादेश, ताइवान, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित “हाइड्रोजन पर-आक्साइड”(एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2847 00 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/03/2015-डीजीएडी, दिनांक 11 अप्रैल, 2017, जिसे दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रश्नगत उत्पाद का निर्यात विषयगत देशों से भारत को इसके संबंधित सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था और इसके कारण यहां इस उत्पाद की भरमार हो गई है। कुछ आयातों से तो यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति भी हुई है।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017, जिसे

सा.का.नि. 587(अ), दिनांक 20 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था; और जो अधिसूचना संख्या 33/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1 जून, 2018 जिसे सा.का.नि. 523(अ), दिनांक 4 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधित की गई है, के द्वारा विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि मैसर्स अल-रजी केमिकल काम्पलैक्स लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) [बंगलादेश] ने अपने द्वारा किए गए विषयगत माल के निर्यात के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 की दृष्टि से समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध किया है और उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने 'न्यू शीपर रिव्यू' अधिसूचना संख्या 7/25/2021-डीजीटीआर, दिनांक 10 सितम्बर, 2021, जिसे दिनांक 10 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत यह सिफारिश की थी कि जब तक उसके द्वारा इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक उपर्युक्त पार्टी के द्वारा किए जाने वाले विषयगत वस्तु के सभी निर्यातों का आंकलन अनंतिम रूप से किया जाए;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, आदेश देती है कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के परिणाम के आने तक उक्त विषयगत वस्तु, जब इसका मूलतः उत्पादन या निर्यात विषयगत देश से मैसर्स अल-रजी केमिकल काम्पलैक्स लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) [बंगलादेश] के द्वारा किया जाए और उसका आयात भारत में हो, को इस समीक्षा के कार्य के पूरा होने तक अनंतिम आंकलन के तहत रखा जाए।

2. यदि कोई निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से लगाया जाता है तो उस मामले में ऐसे अनंतिम आंकलन को ऐसी प्रतिभूति या गारंटी के अधीन रखा जाएगा जिसे यथोचित अधिकारी किसी डिफिशियन्सी, यदि कोई हो, के लिए, उस समय जब विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जांच का कार्य पूरा हो जाता है, भुगतान के लिए उचित समझता है।

3. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा उक्त समीक्षा के कार्य को पूरा कर लिए जाने के पश्चात यदि प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश की जाती है तो आयातकर्ता ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की राशि का भुगतान इस समीक्षा कार्य के शुरू होने की तारीख से लेकर अब तक करने का दायी होगा जिसके लिए समीक्षा में सिफारिश की गई हो और विषयगत वस्तु के सभी आयातों पर, जब उनका मूलतः उत्पादन या निर्यात विषयगत देश में मैसर्स अल-रजी केमिकल काम्पलैक्स लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) [बंगलादेश] के द्वारा किया गया हो और उसका आयात भारत में हुआ हो, लगाया गया हो

[फा. सं. 190354/225/2021—टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

No. 72/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 866(E).—Whereas, in the matter of import of 'Hydrogen Peroxide' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 2847 00 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea RP, Indonesia, Pakistan and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority, *vide* its final findings notification No.14/03/2015- DGAD, dated the 11th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 11th April, 2017, had come to the conclusion that the product under consideration exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product and some of the imports were also causing material injury to the domestic industry;

And whereas, the designated authority had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject countries;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.28/2017- Customs (ADD), dated the 14th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 587(E), dated the 20th June, 2017; as amended by notification No. 33/2018-Customs (ADD), dated 1st June, 2018. published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R.523(E), dated the 4th June, 2018;

And Whereas, M/s. Al-Razi Chemical Complex Limited (Exporter/ Trader) [Bangladesh] have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, *vide* new shipper review notification No.7/25/2021-DGTR, dated the 10th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th September, 2021, has recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated party till the completion of the review by it;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when originating in or exported from the subject country by M/s. Al-Razi Chemical Complex Limited (Exporter/ Trader) [Bangladesh] and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such security or guarantee as the proper officer of customs deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive antidumping duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said review by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of such antidumping duty recommended on review and imposed on all imports of subject goods when originating in or exported from the subject country by M/s. Al-Razi Chemical Complex Limited (Exporter/ Trader) [Bangladesh] and imported into India, from the date of initiation of the said review.

[F. No. 190354/225/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.